




इलाहाबाद विकास प्राधिकरण गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिरा पर मकान बने इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई अस्तर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री श्रीमती गीता शर्मा व

श्रीमती सुशीला कटपाठ पिता /पति का नाम श्री

प्लॉट नम्बर 102/50-4/19 श्रीमती गीता शर्मा इमारत वार्ड नम्बर
में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।



05.6.10
सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

नोट :-

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय शार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से 10 प्रतिशत राश्र शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।
2. इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बाराजा, तोड़िया, सीढ़ी, झाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।
3. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की गटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहवामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंफिडियन इलेक्ट्रिसिटी राल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
5. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उसी आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
6. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दो गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

PROPOSED BUILDING PLAN OF PART OF SITE NO. 28/1 CIVIL STATION AT BIRCHY
 SCALE: 1/100








P. SMT. BEENA WADHWAN
 M. SMT. INDUJA WADHWAN
 S. SMT. VIJAY WADHWAN

DR. R. K. MANGRAJ
 CIVIL ENGINEER
 REG. NO. 1003002010
 142/20 FORT M. ROAD
 MADHUPUR, BHUBANESHWAR
 751 018

Sanjay Madhyan
 Manoj Choudhary

Sl. No.	Particulars	Area (sq. m.)	Total Area (sq. m.)
1	Plot Area	22.35	22.35
2	Area of Building	12.75	12.75
3	Area of Terrace	1.10	1.10
4	Area of Stairs	0.85	0.85
5	Area of Lift	0.25	0.25
6	Area of Tank	0.25	0.25
7	Area of Path	0.25	0.25
8	Area of Other	0.00	0.00
9	Area of Road	0.00	0.00
10	Area of Garden	0.00	0.00
11	Area of Wall	0.00	0.00
12	Area of Fence	0.00	0.00
13	Area of Drainage	0.00	0.00
14	Area of Other	0.00	0.00
15	Area of Road	0.00	0.00
16	Area of Garden	0.00	0.00
17	Area of Wall	0.00	0.00
18	Area of Fence	0.00	0.00
19	Area of Drainage	0.00	0.00
20	Area of Other	0.00	0.00

- 1. TOTAL PLOT AREA = 22.35 M²
- 2. BUILDING AREA = 12.75 M²
- 3. TERRACE AREA = 1.10 M²
- 4. STAIRS AREA = 0.85 M²
- 5. LIFT AREA = 0.25 M²
- 6. TANK AREA = 0.25 M²
- 7. PATH AREA = 0.25 M²
- 8. ROAD AREA = 0.00 M²
- 9. GARDEN AREA = 0.00 M²
- 10. WALL AREA = 0.00 M²
- 11. FENCE AREA = 0.00 M²
- 12. DRAINAGE AREA = 0.00 M²
- 13. OTHER AREA = 0.00 M²



1/15